बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9431818346~~/9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वाडियार
* अनिल कुमार
कोषाध्यक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाध्यक्षः – * विनोद आनन्द

दिनांक 16/4/15

पत्रांक : 22

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को दिया गया ज्ञापन पत्रांक 08 दिनांक 16.03.2015 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सेवा के प्रतिनिधिमंडल से मुख्य सचिव, बिहार सरकार से आज दिनांक 16.04.2015 को वार्त्ता हुई। बैठक में प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग भी उपस्थित थे।

वार्त्ता के बिन्दु :–

(1) **प्रोन्नति अवरूद्ध होने एवं वरीयता सोपान रखे जाने के संबंध में** :–

(i) समादेशवाद संख्या–19114/2012 में माननीय उच्च न्यायालय आदेश दि0–05.08.2014 में आदेश ''Operation of Resolution Annexure-13 (सामान्य प्रशासन का ज्ञापांक–11635 दिनांक 21.08.12) अनु0 जाति/जनजाति को परिणामी वरियता के साथ प्रोन्नति) Shall remain stayed'' परन्तु सामान्य प्रशासन द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक पर ही रोक लगा दी गई है। इससे पदाधिकारी में काफी असंतोष है। इसका समाधान करने की आवश्यकता है ताकि प्रोन्नति हो सके।

(ii) वर्त्तमान में 34, 35, 36, 37वीं बैच के पदाधिकारी को ड।ब्ब के तहत अपर समाहर्त्ता का वेतनमान 7600 ग्रेड पे प्राप्त हो चुका है जिन्हें अपर समाहर्त्ता के पद पर पदस्थापन करने से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं पड़ेगा, वही 38, 39वीं बैच के पदाधिकारी को उप सचिव स्तर का ग्रेड पे 6600 प्राप्त है इन्हें उपसचिव स्तर के पद पर पदस्थापित करने से भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा ऐसा न कर मूल कोटि के पदाधिकारी जिनका ग्रेड पे 5400 है को जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला प्रबन्धक राज्य खाद्य निगम/जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी के पद पर भेदभाव पूर्ण से पदस्थापित किया जा रहा है जिससे एक ओर वरीयता सोपान की मर्यादा को ठेस पहुँचता है वही दूसरी ओर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी के बीच आपसी दुर्भावना भी व्याप्त होती जा रही है।

(2) <u>गैर संवर्गीय पद/प्रोन्नति सुरक्षित पद पर प्रोन्नति देने हेतु BAS Rule के संबंध में</u> :–

उपरोक्त विषयक बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का पुर्नगठन 01.04.10 से हुआ है जिसके फलस्वरूप पदों की संख्या 2878 से घटकर 851 हो गयी जबकि उस वक्त वास्तविक पदो की संख्या करीब 1600 थी। वर्त्तमान में बिहार प्रशासनिक के पदाधिकारी की संख्या लगभग 1200 है जो स्वीकृत बल 851 लगभग 350 अधिक है इसके बावजूद संयुक्त परीक्षा 56वीं–59वीं परीक्षा हेतु 100 रिक्ति भेज दी गई है तथा ज्ञापांक–15378 दिनांक 11.11.14 द्वारा 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी का स्थायी पद सृजित किया गया है इससे बेसिक ग्रेड के पदों की संख्या में 101 की वृद्धि कर दी गई है परन्तु प्रोन्नति वाले पदों की संख्या पूर्व की तरह ही है इससे प्रोन्नति में Stagnation और भी बढ़ गई है। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग पुनर्गठन के साथ ही कार्यपालक दण्डाधिकारी का स्वीकृत पद 294 समाप्त कर राजस्व एवं ग्रामीण संवर्ग के पदाधिकारी के लिए क्रमशः 147–147 कार्यपालक दण्डाधिकारी का पद सृजित किया गया तो फिर 101 अपर अनुमंडल पदाधिकारी का पद सृजित करने का क्या औचित्य है इसे स्पष्ट किया जाना भी अपेक्षित है। वर्त्तमान में सेवा अवधि/प्रोन्नति की स्थिति इस प्रकार है :–

<u>मूल कोटि में पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है</u> :–

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	36 बैच	1992	22 वर्ष
2	37 बैच	1993	21 वर्ष
3	38 बैच	1995	19 वर्ष
4	39 बैच	1996	18 वर्ष
5	40 बैच	1997	17 वर्ष
6	41 बैच	1999	15 वर्ष
7	42 बैच	2000	14 वर्ष

इसी प्रकार मात्र एक प्रोन्नती पाये गये पदाधिकारियों की सेवा अवधि विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्र0 सं0	बैच	नियुक्ति का वर्ष	सेवा अवधि
1	34 बैच	1989	25 वर्ष
2	35 बैच	1990	24 वर्ष
3	36 बैच	1992	22 वर्ष

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 25–22 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने पर मात्र एक प्रोन्नति हुई है, वही 22 से लेकर 14 वर्ष की सेवा अवधि पूरी करने के बावजूद एक भी प्रोन्नति नही हुई है। जबकि मूल कोटि से उप सचिव स्तर में प्रोन्नति की कालावधि 5 वर्ष है एवं उप सचिव से अपर समाहर्त्ता स्तर में प्रोन्नति की कालावधि भी 5 वर्ष ही है। स्वीकृत बल से अतिरिक्त पदाधिकारी को विभिन्न विभागों के लिए सृजित पद (गैर संवर्गीय पद) पर पदस्थापित किया जा रहा है जिसके विरूद्ध प्रोन्नति देने का अनुरोध बार–बार संघ के द्वारा किया जाता रहा है। मूल कोटि के पदाधिकारी की संख्या बल इस प्रकार है :–

(1) दिनांक 04.08.2014 को मूल कोटि के पदाधिकारी की संख्या – 803

(2) मूल कोटि का स्वीकृत पद – 313

(3) मूल कोटि में स्वीकृत बल से अतिरिक्त पदाधिकारी की संख्या – 490

उपरोक्त वर्णित सेवा अवधि पूरी होने एवं अतिरिक्त संख्या बल के कारण प्रोन्नति में कोई प्रगति होने की सम्भावना नजर नहीं आती है।

ससमय प्रोन्नति नहीं होने से पदाधिकारियों का मनोबल गिरता जा रहा है तथा पदाधिकारियों में काफी असंतोष व्याप्त है।

(3) **<u>PB-2 ग्रेड पे0–5400 से PB-3 ग्रेड पे0–5400 को प्रथम रूपानान्तरित वित्तीय उन्नयन माने जाने के संबंध में</u>** :–

इस नए प्रावधानान्तर्गत बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी प्रथम चार वर्ष PB-2 (14880 प्रारम्भिक बैंड वेतन) एवं ग्रेड पे0–5400 में रहते है तथा चार वर्ष पूर्ण होने पर (सेवा सम्पुष्टि के उपरान्त) उनका बैंड वेतन PB-3 एवं उसी ग्रेड पे0–5400 में परिवर्त्तित हो जाता है। चार वर्ष के उपरान्त उनका बैंड वेतन वार्षिक वेतन वृद्धियों के उपरान्त 17440 हो जाता है जो कि PB-3 के न्यूनतम बैंड वेतन 15600 से अधिक है।

अतः यह परिवर्त्तन केवल पे0 बैंड नामांतरण का होता है तथा इसमें पदाधिकारियों को कोई अतिरिक्त वेतन की वृद्धि नहीं दी जाती है।

(iv) फिर भी इस बैंड के नामातरण को वित्त विभाग के पत्रांक–8710 दिनांक 19.09.11 (प्रति संलग्न) द्वारा प्रथम वित्तीय उन्नयन परिभाषित कर दिया गया है जिसके कारण बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को पूरे सेवाकाल में तीन की जगह मात्र दो वित्तीय उन्नयन ही वास्तविक रूप में दिया जा रहा है ग्रेड पे0–6600 एवं ग्रेड पे0–7600 साथ ही प्रथम वास्तविक वित्तीय उन्नयन भी 14 वर्षों की सेवा के उपरान्त प्राप्त होगा।

(v) वित्त विभाग को यह परिभाषा मा0 CAT, चंडीगढ़ एवं नई दिल्ली के न्याय निर्णयों, जिसे मा0 उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ एवं सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली में भी जायज ठहराया गया है, के विरूद्ध है। इस न्याय निर्णयों में स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि चूँकि पूर्व के पुनरीक्षण में प्रोन्नति के पद पर ही वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति देना प्रावधानित है। अतः यह कर्मियों के सेवा शर्त्तों का हिस्सा हो गया है तथा नए पुनरीक्षण के तहत कर्मियों के अहित में इस सेवा शर्त्त को नहीं बदला जा सकता है और उनके वित्तीय उन्नयन प्रोन्नति के पद सोपान पर ही दिया जाना है।

(vi) संघ द्वारा इस संबंध में वित्त विभाग से अनेकों बार पत्राचार किया गया है परन्तु अभी तक कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हो पायी जिसके कारण संघ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, पटना में भी याचिका दायर की गई है जो सुनवाई हेतु लंबित है।

(4) **<u>जिला पदाधिकारी के पाँच पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी का पदस्थापन करने के संबंध में</u>** :–

दिनाक 29.03.1999 एवं पुनः दिनांक 27.10.'2000 को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमति राबड़ी देवी की उपस्थिति में यह निर्णय हुआ था कि "जिला पदाधिकारी के पाँच पदों को आई0ए0एस0 के अतिरिक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी से भरा जाएगा" जिसका अनुपालन कराया जाना अपेक्षित है। कई राज्यों यथा उड़ीसा, प0 बंगाल, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, असम इत्यादि में इस तरह की व्यवस्था लागू है।

(5) **बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में अवरूद्ध प्रोन्नति के संदर्भ में :–**

बिहार प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 11, 12, 13 एवं 14 के विरूद्ध प्रोन्नति लम्बित है जबकि भारत के अन्य राज्यों में प्रोन्नति दी जा चुकी है। प्रोन्नति नहीं होने से एक ओर Select List के पदाधिकारी की उम्र भी सेवानिवृत्ति की ओर अग्रसर है वही दूसरी ओर इससे होने वाले बिहार प्रशासनिक सेवा में रिक्ति भी नहीं हो पा रहा है जिससे बिहार प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी को प्रोन्नति भी इस हद तक अवरूद्ध हो रही है।

(6) **सेवारत एवं सेवानिवृत्त पदाधिकारी के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति को और प्रभावकारी बनाने के संबंध में :–**

राज्य के पदाधिकारी/कर्मी को केन्द्र के अनुरूप सारी सुविधाएँ देने का राज्य सरकार का निर्णय है। केन्द्र की तरह अर्न्तवासीय चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति की सुविधा दी जा रही है परन्तु बाह्य चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति एवं सवेानिवृत्ति के पश्चात् की चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति की सुविधा केन्द्र के अनुरूप नहीं दी जा रही है।

स्वास्थ्य विभाग के संकल्प सं0–944 (14) दिनांक 20.08.2014 के द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मियों एवं पदाधिकारियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करायी गई है जिसे और सरल एवं प्रभावकारी बनाने की आवश्यकता है।

संघ का भवदीय से अनुरोध है कि बाह्य चिकित्सा एवं सेवानिवृत्ति के उपरान्त चिकित्सा सुविधाएँ केन्द्र के अनुरूप राज्य के पदाधिकारी/कर्मी को भी दी जाए।

उपरोक्त पर मुख्य सचिव द्वारा सकारात्मक आश्वासन दिया गया है। संघ को उम्मीद है कि इसके अच्छे परिणाम शीघ्र आयेंगे।

ह0/–

(सुशील कुमार)
महासचिव

ह0/–

(सुरेश कुमार शर्मा)
अध्यक्ष

प्रतिलिपि :– सभी जिला इकाई के अध्यक्ष/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

16/04/15
(सुशील कुमार)
महासचिव